न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 1407/2016
GCMS NO. : 2016/00387

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादीगण

1. बाबुशाह वल्द स्व. गनीशाह के फौत के का.मु.
   1.1 सिकन्दर शाह पुत्र बाबुशाह
   1.2 खाजू शाह पुत्र बाबुशाह
   1.3 रईसा पुत्री बाबुशाह जाति मुसलमान(सांई) निवासीगण निम्बोल हाल पीपाड़शहर तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर।
2. इब्राहिम शाह वल्द स्व. गनीशाह के कायम मुकाम
   2.1 आयशा बानो पत्नी इब्राहित शाह
3. शोकत शाह पुत्र स्व. गनीशाह जाति मुसलमान (सांई) निवासी निम्बोल हाल मुकाम पीपाड़शहर तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर।
4. महबुब शाह वल्द स्व. हाजीशाह के कायम मुकाम
   4.1 फरीदा पत्नी महबुब शाह
   4.2 यासमीन पुत्री महबुब शाह
   4.3 रईसा पुत्री महबुब शाह जातियान मुसलमान निवासीगण ग्राम हाल मुकाम बागर चौक, जोधपुर जिला जोधपुर।
5. सतार शाह पुत्र स्व. हाजी शाह
6. गफार शाह पुत्र स्व. हाजी शाह
7. सिकन्दर शाह पुत्र स्व. हाजी शाह वल्द नूर शाह जातियान मुसलमान (सांई) निवासीगण निम्बोल हाल मुकाम बागर चौक जोधपुर जिला जोधपुर।

प्रतिवादीगण

1. सुल्तान शाह वल्द मीरू शाह के का.मु.
   1.1 रोशन पुत्र स्व. सुल्तान शाह
2. सलीम पुत्र स्व. चान्दू शाह
3. निसार पुत्र स्व. चान्दू शाह
4. शाबीर पुत्र स्व. चान्दू शाह
5. अमीना बानो पुत्री स्व. चान्दू शाह
6. मुमताज बानो पुत्री स्व. चान्दू शाह जातियान मुसलमान निवासीगण निम्बोल तहसील जैतारण।
7. छोटी बानो पुत्री स्व. चान्दू शाह पत्नी यासीन शाह जाति मुसलमान (सांई) निवासी बाली जिला पाली।
8. अली शाह वल्द मीरूशाह के का.मु.
   8.1 हुसैन शाह पुत्र स्व. अली शाह
   8.2 शेरू शाह पुत्र स्व. भंवरू शाह वल्द अली शाह
   8.3 सलीम शाह पुत्र भंवरू शाह वल्द अली शाह
   8.4 साबीर शाह पुत्र भंवरू शाह वल्द अली शाह
   8.5 जनत पुत्री अली शाह जाति मुसलमान निवासी जफार शाह के मकान सिलावटो की मस्जिद के पास, जैतारण।
9. सलमा पत्नी रोशन जाति मुसलमान (सांई) निवासी निम्बोल तहसील जैतारण
10. [illegible] पुत्र केसाराम कौम जाट [illegible] ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण
11. [illegible] पुत्र केसाराम
12. [illegible]याराम पुत्र केसारा[illegible]ति जाट निवासी ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

13. जडावली पत्नी कुन्नाराम भाटी जाति माली निवासी ग्राम निम्बोल जैतारण
14. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली।
15. हल्का पटवारी निम्बोल तहसील जैतारण।
16. बरकत शाह पुत्र स्व. हुसैन शाह
17. सलीम शाह पुत्र स्व. हुसैन शाह
18. शाबिर शाह पुत्र हुसैन शाह
19. हाकीम शाह पुत्र स्व. इस्माईल शाह
20. साबिर शाह पुत्र स्व. इस्माईल शाह वल्द नूर शाह जातियान मुसलमान (सांई) निवासीगण निम्बोल हाल धनला जिला पाली, राजस्थान।
21. तहसीलदार जैतारण तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी तारीख रजू:-01.06.2016

उपस्थितः-

1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय :: **दिनॉकः-30/06/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद भौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील से मृतक मीरू शाह वल्द फूल साह खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 965 रकबा 13-15 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। वक्त सेटलमेंट सायलान के पूर्वज मृतक मीरू शाह वल्द फूल उक्त कृषि भूमि के एकमात्र रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थे सेटलमेंट विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान मय खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 की प्रमाणित प्रतियां एवं चालू जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण में वाके. आराजी खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible]-04 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 970 रकबा 20-19 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में वक्त सैटलमेंट 1/2 हिस्से की भूमि के सायलान के पूर्वज मृतक मीरू शाह वल्द फूल शाह रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थे, उक्त सैटलमेंट विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान मय खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011-2030 की प्रमाणित प्रतियां एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

चालू जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावे। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा । विवादित आराजी के वक्त सैटलमेंट काबिज खातेदार काश्तकार मृतक मीरू शाह बल्द फूल शाह जाति मुसलमान (साई) निवासी निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली का देहान्त (इन्तकाल) वर्ष 1968-69 में ग्राम निम्बोल में हो गया, प्रस्तुत वंशावली के अनुसार मृतक मीरू शाह वल्द फुल साह के चार जायन्दा पुत्र क्रमशः अली शाह, नूर शाह, गनी शाह व सुल्तान शाह थे व मीरू शाह के जीवनकाल तक उक्त चारों पुत्र शामिल ही निवास एवं सेवा चाकरी करते थे व मीरू शाह के इन्तकाल (देहान्त) के समय इन चारों पुत्रों द्वारा ही कफन एवं दफन का व्यय किया गया, इसलिए मृतक मीरू शाह वल्द फुल साह के एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी अली शाह, नूर शाह, गनी शाह व सुल्तान शाह है तथा मृतक मीरू शाह वल्द फूल शाह की समस्त चल व अचल सम्पतियों में उनके चारों पुत्रों का बराबर हक हिस्सा व विधिवत् अधिकार है। तथा मुस्लिम विधि के तहत मृतक मीरू शाह की मृत्यु के क्षण ही उनके सभी विधिक उत्तराधिकारियों को उनकी तमाम चल व अचल सम्पतियों में हक अधिकार प्राप्त हो गये। इस प्रकार मृतक मीरू शाह वल्द फूल शाह की विवादित आराजी में उनके चारों पुत्र अली शाह, नूर शाह, गनी शाह व सुल्तान शाह का बराबर हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त है। यानि विवादित आराजी में मृतक मीरू शाह के विधिक उत्तराधिकारी अली शाह का 1/4 हिस्सा, गनी शाह का 1/4 हिस्सा, नूर शाह का 1/4 हिस्सा व सुल्तान शाह का 1/4 हिस्सा के अधिकारी है। मृतक मीरू शाह वल्द फूल शाह के इन्तकाल (देहान्त) के कुछ समय बाद उनके दो जायन्दा पुत्र सायलान एवं गैरसायलान सं. 16 से लगायात गैरसायलान सं. 20 के पिता/प्रपिता गनी शाह व नूर शाह खाने-कमाने के लिए बाहर चले जाने से विवादित आराजी में गैरसायलान सं. 1 सुल्तान शाह वल्द मीरू शाह ने तत्कालीन हल्का पटवारी निम्बोल व सरपंच से मिलीभगत करते हुये विवादित आराजी अपने नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन सं. 328 ग्राम पंचायत निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल से दिनांक 02.06.1971 को स्वीकृत करवा लिया, उक्त म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। जबकि सायलान एवं गैरसायलान सं. 16 से लगायात गैरसायलान सं. 20 के पूर्वज गनी शाह व नूर शाह मृतक मीरू शाह वल्द फूल साह के विधिक उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी उनके नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया गया। तथा विवादित आराजी में मृतक मीरू शाह के जरिए फौतेदगी म्यूटेशनं में सायलान के पूर्वजों के नाम इन्द्राज नहीं किये जाने से सायलान एवं गैरसायलान सं. 16 से लगायात गैरसायलान सं. 20 के हक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। गैरसायलान सं. 15 हल्का पटवारी निम्बोल द्वारा मृतक मीरू शाह के विधिक उत्तराधिरियों की जांच किये बगैर अवैध व गैरकानूनी रूप से गैरसायलान सं. 1 मृतक सुल्तान शाह के नाम जरिये फौतेदगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

म्यूटेशन सं. 328/2.06.71 राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया व मृतक मीरू शाह की विवादित आराजी में एकमात्र गैरसायलान सं. एक मृतक सुल्तान शाह के नाम भरा गया म्यूटेशन सं. 328/02.06.71 अवैध व गैरकानूनी है विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है इस विधि विरूद्ध म्यूटेशन के आधार पर गैरसायलान को कोई खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त नामान्तरकण को रद्द (निरस्त) घोषित करवाने हेतु सायलान को पुरा कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् घोषणा निरस्त करने म्यूटेशन सं. 328/02.06.71 खिलाफ गैरसायलान के पेश है। मृतक मीरू साह वल्द फूल साह की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा निम्बोल में वाके खसरा नम्बर 965 रकबा 13-15 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में बतौर उत्तराधिकारी के 1/2 हिस्से की भूमि के सायलान काबिज खातेदार काश्तकार है व 1/2 हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार गैरसायलान है। इसी प्रकार सरहद मौजा निम्बोल में मृतक मीरू शाह की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 879 रकबा 11-04 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 970 रकबा 20-19 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में सायलान बतौर विधिक उत्तराधिकारी 1/4 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है व 1/4 हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार गैरसायलान है। इसी हिस्सानुसार मौके पर सायलान का कब्जा काश्त है। इसलिए सायलान मृतक मीरू शाह की विवादित आराजी में बतौर उत्तराधिकारी के हिस्सानुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा खातेदारी खिलाफ गैरसायलान के पेश है। विवादित आराजी में सायलान एवं गैरसायलान सं. 1 से लगायत गैरसायलान स. 8/6 को मीरूशाह की मृत्यु के क्षण ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये, इसलिए मृतक मीरू शाह की विवादित आराजी में उनके विधिक उत्तराधिकारी सायलान एवं गैरसायलान सं. 1 से लगायत गैरसायलान सं. 8/6 एवं गैरसायलान सं. 16 से लगायात गैरसायलान सं. 20 का बराबर हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त है मगर तत्कालीन हल्का पटवारी गैरसायलान सं. 15 ने मृतक मीरू शाह के चार जायन्दा सन्तान जीवित होने के बावजूद भी उनके नाम फौतेदगी म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं कर केवल गैरसायलान सं. 1 सुल्तान शाह के नाम विवादित आराजी जरिये नामान्तरकण सं. 328 दर्ज कर दी गई, उक्त गलत एवं विधि विरूद्ध म्यूटेशन के आधार पर गैरसायलान सं. 2 से लगायत गैरसायलान सं. 7 के पिता/पति चान्दु वल्द सुल्तान शाह ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 879 रकबा 11-04 बीघा किस्म बारानी दोयम में से 1/2 हिस्से की भूमि गैरसायलान सं. 10 देवाराम को जरिए लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 28.05.1999 को बैचान कर दी, उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान के आधार पर गैरसायलान सं. 10 ने विवादित आराजी गैरसायलान सं. 1 व 2 के जरिये बख्शीशनामा दिनांक 8.07.2015 को कर दिया। उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 28.05.1999 एवं बख्शीश नामा दिनांक 8.07.2015 की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

है जिसे प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावे। तत्पश्चात् गैरसायलान सं. दो से लगायत गैरसायलान सं. सात ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 970 रकबा 20-19 बीघा में से 1/4 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 965 रकबा 13-15 बीघा में से 1/2 हिस्से की भूमि में अपनी स्वयं की खातेदारी होना बताकर जरिए लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 15.10.2015 को बैचान कर दी, उक्त लिखित पंजीबद्ध बेचान की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। तथा गैरसायलान सं. 1/1 रोशन ने भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 965 रकबा 13-15 बीघा भूमि में अपना 1/2 हिस्सा होना बताकर 100/137 वां हिस्सा की 5-00 बीघा भूमि गैरसायलान सं. 13 जड़ावली को जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 4/12/2015 को बैचान कर दी। उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावे। इस प्रकार उक्त सभी लिखित पंजीबद्ध बैचान एवं बख्शीशनामा अवैध व गैरकानूनी है नल एण्ड वॉईड है सायलान के हितों के विरूद्ध बेअसर एवं प्रभाव शून्य है उक्त लिखित पंजीबद्ध बेचान एवं बख्शीश नामें से गैरसायलान को कोई कानूनी हक, अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा सायलान उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान एवं बख्शीश नामें को रद्द करवाने के कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र घोषणा मन्सूखी लिखित पंजीबद्ध बैचान/बख्शीशनामा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। सायलान को अपने पूर्वज मृतक मीरू शाह से विरासत में प्राप्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 965 रकबा 13-15 बीघा किस्म बारानी दोयम में 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 879 रकबा 11-04 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 970 रकबा 20-19 बीघा किस्म बारानी दोयम में मृतक मीरू शाह के 1/2 हिस्से की भूमि में से बतौर उत्तराधिकारी सायलान 1/4 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है इसी हिस्सानुसार सायलान मौके पर कब्जा काश्त है। तथा विवादित आराजी में सायलान को खातेदार घोषित किये जाने के पश्चात् विवादित आराजी को मौके पर मौजूदा सायलान के कब्जा काश्त हिस्सानुसार मौके पर भूमि बाटी जाकर नेखमबन्दी कर पत्थर गढ्ढी करवाई जावे, सायलान के हिस्से की भूमि का मौके पर बंटवाड़ा नक्शा ट्रेश में जरिये तरमीम अलग दर्शाई जावे, सायलान के हिस्से की भूमि का अलग खाता व लगान दर्ज किया जावे, इसी तकास्मा आराजी (बंटवाड़ा) की डिक्री सायलान गैरसायलान के विरुद्ध प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र तकास्मा आराजी खिलाफ गैरसायलान के पेश है। सायलान को मृतक मीरू शाह से विरासत में प्राप्त विवादित आराजी से महरूम (वंचित) करने पर गैरसायलान आमादा है व सायलान द्वारा दिनांक 28.03.2016 को विवादित आराजी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने व तत्पश्चात् दिनांक 12/04/2016 को गैरसायलान सं. 15 हल्का पटवारी [illegible] सं. 328 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर सायलान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सर्वप्रथम इल्म हुआ कि विवादित आराजी में मृतक मीरु शाह के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में सायलान एवं उनके पूर्वज के नाम का इन्द्राज नहीं है, इस पर दिनांक 01/05/2016 को सायलान ने गैरसायलान को विवादित आराजी में मृतक मीरू शाह के उत्तराधिकारी के तौर पर हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज कराने एवं रेकर्ड को दुरुस्त करवाने को कहा, मगर गैरसायलान ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तथा विवादित आराजी सायलान को बेदखल करने, वैचान, हस्तान्तरण, रहन, इकरार व मुन्तकिल करने की एलानिया धमकी दी, यदि गैरसायलान द्वारा ऐसा किया गया तो सायलान उन्हें ऐसा हरगीज नहीं करने देंगे, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, सायलान को गैरसायलान के विरुद्ध बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिंग्स होगी, व सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, व सायलान को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रुपयों/पैसों में नहीं आंका जा सकता है इसलिए सायलान गैरसायलान के विरुद्ध अस्थांयी निषेधाज्ञा प्राप्त करने कें कांनूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा काश्त व दस्तावेजात के आधार पर सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित है तथा विवादित कृषि भूमि सायलान के पूर्वज मीरु शाह की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में सायलान बतौर उत्तराधिकारी के काबिज है तथा उक्त विवादित आराजी से सायलान को बेदखल करने, भूमि बैचान हस्तान्तरण इत्यादि किये जाने की सूरत में सायलान को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। तथा सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान के पक्ष में साबित नहीं होकर सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिए सायलान गैरसायलान के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7, 8/2 से 9 तथा 14 से 20 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 1/1, 8/1, तथा 10 से 13 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 10 से 13 को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद नियत समय सीमा में जवाब प्रार्थना पेश नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1/1 व 8/1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया सरहद मौजा निम्बोल मे मीरूशाह पुत्र फुलशाह की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 965 रकबा 13 बीघा 15 बिश्वा बारानी दोयम आई हुई है जो सही है परन्तु सायलान के पूर्वज मीरूशाह वल्द फुलशाह नहीं थे व ना ही सायलान अपने जीवन काल में कभी भी निम्बोल के मूल निवासी रहे है. उक्त विवादित आराजी गैरसायलान संख्या 1 से 8 के वारीसो कि है एवं इनके ही पूर्वज मीरूशाह वल्द फुलशाह थे। पेरा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:00 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3 मे जो वंशावली दशाई गई है जो अस्वीकार है मृतक मीरुशाह वल्द फुलशाह के वंशज अलीशाह व सुल्तान शाह ही थे। सायलान गैरसायलान की पुश्तैनी सम्पति को हड़पने की नियती से उक्त वाद पेश किया है सायलान का जन्म स्थान कभी भी निम्बोल नहीं रहा है न ही कभी भी निम्बोल के मूल निवासी रहे है न ही इनके पास राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड है व न ही इनमे इनका नाम रहा है सायलान ने वाद पेश करने की गरज से निवासीगण निम्बोल लिखा है। जो गलत एवं असत्य है तथा न ही इनके ग्राम निम्बोल मे मकान है न ही कब्रीस्तान है तथा न ही इनके पूर्वजो को कब्रीस्तान में दफनाने के कोई सबुत है न ही उक्त विवादीत आराजी मे कभी भी कब्जा रहा है न ही मीरूशाह वल्द फुलशाह के उत्तराधिकारी रहै है। जब सायलान मीरुशाह वल्द फुलशाह के वारीशान ही नही है तो उक्त विवादीत आराजी में किसी भी प्रकार का कोई हक हकुक नही है मीरूशाह वल्द फुलशाह के वारीश ही है मीरुशाह वल्द फुलशाह की चल व अचल सम्पति मे अलीशाह के वारीशान व सुल्तानशाह के वारीशान का 1/2 के मालिकाना हक हकुक रखते है व रखते आये है एवं आज भी मौके पर कब्जा व कास्त है मीरूशाह वल्द फुलशाह के देहान्त के बाद उनके वारीशो के नाम का ही फोतेदगी म्युटेशन भरा गया है जो फोतेदगी म्युटेशन भरे गये वो वाद जांच भरे गये थे अगर सायलान वारीश होते तो आवश्यक रूप से इनके नाम का भी म्युटेशन भरा जाता जब सायलान मृतक मीरूशाह वल्द फुलशाह के वंशज ही नहीं है तो इनके नाम का म्युटेशन भरे जाने का प्रश्न ही पेदा नही होता। सायलान निम्बोल मे निरमा निरमेक्ष लिमिटेड प्लान्ट मे आने के बाद झूठे व फर्जी वंशज बनकर आये है इनका उक्त आराजी मे किसी भी प्रकार का कोई हक हकुक नही बनता है गैरसायलान संख्या 9 मे मीरूशाह वल्द फुलशाह के वंशज से विवादीत आराजी खरीद कि एवं कब्जा प्राप्त किया उक्त सम्पूर्ण विवादीत आराजी गैरसायलान के कब्जे कास्त मे है तथा गैरसायलान ही उपयोग व उपभोग शान्ति पूर्वक कर रहे है वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पेरा संख्या 4 मे लिखी तमाम तथ्य गैरसायलान को अस्वीकार है वादीगण मीरूशाह पुत्र फुलशाह में उत्तराधिकारीगण नही है न मीरूशाह पुत्र फुलशाह के वंशज है मीरुशाह पुत्र फुलशाह के गैरसायलान संख्या 1 से 8 वंशज व उत्तराधिकरी होने के कारण फोतेदगी म्युटेशन गैरसायलान संख्या 1 से 8 के नाम भरा गया जो सही व सत्य है व सायलान का मीरूशाह पुत्र फुलशाह की चल व अचल सम्पति में किसी भी प्रकार का कोई हक हकुक नही है न ही दावे में बताई गई विवादीत कृषि भूमि मे कभी भी कब्जा व कास्त नहीं रहा है सायलान कभी भी मीरूशाह पुत्र फुलशाह के वंशज नही होने के कारण इनका कोई हक हकुक नही बनता है। सायलान मृतक मीरूशाह पुत्र फुलशाह के वंशज नही होने के कारण खसरा नम्बर 965 व खसरा नम्बर 879 की कृषि भूमि मे व मीरूशाह पुत्र फुलशाह के चल व अचल सम्पति मे किसी भी प्रकार का कोई हक हकुक व हिस्सा को प्राप्त करने के कानूनी रूप से अधिकारी नही होने के किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सायलान का वाद खारीज किए जाने योग्य है सायलान ने असत्य कथनों के आधार पर उक्त वाद पेश किया है। सायलान अपने जीवन काल मे कभी भी निम्बोल के मूल निवासी नही रहे है न ही साथलान के पूर्वजों का जन्म स्थान निम्बोल नहीं रहा है व न ही सायलान का रहवास निम्बोल मे रहा है। न ही सायलान का निम्बोल ग्राम पंचायत कि वोटर लिस्ट में नाम है व निम्बोल में इनके नाम का राशन कार्ड व आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है सायलान गैरसायलान संख्या 1 से 8 के वंशज कभी नहीं रहे सायलान द्वारा बताये गए सभी तथ्य गलत है इस कारण सायल का बाद खारिज फरमाया जावे न ही सायलान गैरसायलान से कोई रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। गैरसायलान मीरूशाह कि चल व अचल सम्पति उक्त वाद कि विवादीत आराजी मे अपना हक हकुक रखते है व मीरूशाह के वंशज होने के कारण उक्त विवादित आराजी का रजिस्ट्रर्ड बयान करने के कानूनी उत्तराधिकारी होने के कारण अपने हक हकुक हिस्से कि भूमि बैचान कि गई है सायलान का वाद मियाद बाहर है व सायलान उक्त विवादीत आराजी से आउट ऑफ पजेशन है सायलान का उक्त विवादीत आराजी व मीरूशाह पुत्र फुलशाह कि चल व अचल सम्पति के मालिकाना हक हकुक रखते है व काबिज है। मीरूशाह के जायन्दा दो पुत्र ही थे मीरूशाह की चल व अचल सम्पति अलीशाह व सुल्तानशाह के वंशज का ही कब्जा एवं कास्त है सायलान दावा करने कि गरज से 28/03/2016 नकल लेने 12/04/2016 हल्का पटवारी से म्युटेशन की नकल लेने दावा करने कि गरज से उक्त मन गढ़त लिखी गई है। दिनांक 01/05/2016 को गैरसायलान से सायल द्वारा मिलना बताया गया है जो बिल्कुल सफेद झूठ है गैरसायलान सायलान को जानते पहचानते भी नहीं है गैरसायलान का राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज है व मोके पर कब्जा एवं कास्त है सायलान का मोके पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा एवं कास्त नहीं रहा है सायलान किसी भी प्रकार की कोई रिलिफ व स्थाई निषेधाज्ञा हाजा अदालत से प्राप्त करने के कानूनन अधिकरी नहीं है इसलिए सायलान का वाद खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रथम दृष्टिया मामला गैरसायलान के पक्ष में बहुत ही मजबुत है गैरसायलान खातेदार एवं कास्तकार है व कब्जा सुद है गैरसायलान को सायल के पक्ष मे किसी भी प्रकार का आदेश करने से क्षतिपुर्ति गैरसायलान को होगी जो किसी भी सुरत में रूपयो मे नहीं आकी जा सकती सविधा का सन्तुलन भी गेर सायलान के पक्ष में हे सायला का कभी भी निम्बोल में रहवास नही रहा है न ही जन्म हुआ है सायलान के पूर्वज नुरशाह व गनीशाह मीरू पुत्र फुलशाह के वंशज कभी नहीं रहे है गैरसायलान की किमतन भूमि को हडपने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो ही बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में है सायलान का प्रार्थना पत्र काबीले खारिजे होने के योग्य से खारिज फरमाया जावे सायल व गैरसायलान दोनो ही पक्ष मुस्लीम धर्म के अनुयायी है तथा मुस्लीम गवर्न होते है सायल ने यह प्रार्थना पत्र उक्त कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी संयुक्त परिवार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सामलाती होने के कथन व प्लीडिंग के आधार पर खिलाफ गैरसायलान के पेश किया है जबकि दोनो पक्ष मुस्लिम होने से एवं मुस्लिम विधि से गवर्न होने के कारण मुस्लिम में पैतृक पुश्तैनी व सामलाती कानून के प्रावधान नहीं है और न ही कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैतृक पुश्तैनी व सामलाती कथनो के आधार पर किसी भी प्रकार की दादरसी के लिये वाद व प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नही कर सकता है अतः गैरसायलान की और से सायलान का प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र मे कोस्ट के खारिज फरमाया

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) ***प्रथम दृष्ट्या मामला :–*** प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वादपत्र के साथ हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीगण के पूर्वज मीरूशाह वल्द फूलशाह के नाम खातेदारी दर्ज थी तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पर्चा लगान भी जारी किया गया। मीरूशाह का इंतकाल 1968–1969 में हुआ। प्रार्थीगण मीरूशाह के वारिसान गनी शाह व नूरशाह तथा अप्रार्थीगण सुल्तान शाह व अलीशाह के वारिसान है। मुस्लिम विधि के अनुसार मीरूशाह की मृत्यु के क्षण ही उसकी समस्त चल अचल सम्पतियों में उसके वारिसान का हिस्सा निहित हो चुका था, लेकिन मृतक खातेदार मीरूशाह के स्थान पर स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 02.06.1971 द्वारा केवल सुल्तानशाह के नाम स्वीकृत कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण संख्या 01, 06, 08 से 13 ने प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों का विरोध कर जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण के पूर्वज मीरूशाह वल्द फूलशाह नहीं थे बल्कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 के पूर्वज मीरूशाह वल्द फूलशाह थे। मीरूशाह वल्द फूलशाह की चल अचल सम्पतियों में अलीशाह व सुल्तानशाह का 1/2 हक हिस्सा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वंश वृक्षावली झुठी है तथा स्वीकृत किये फौतेदगी नामान्तरण विधिक सही है। अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के पिता व पति सुल्तानशाह ने खसरा संख्या 879 में से 1/2 हिस्से की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 10 देवाराम को पंजीकृत बेचान से तथा अप्रार्थी संख्या 10 देवाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 11 व 12 को जरिये पं[illegible] से हस्तान्तरित कर दिये तथा अप्रार्थी रोशनशाह ने अपने 1/2 हिस्से में से [illegible] भूमि अप्रार्थी संख्या 13 को जरिये पंजीकृत बेचान से हस्तान्तरि[illegible] पंजीकृत विलेख के सम्बन्ध में केवल व्यवहार न्यायालय द्वारा ही विचारण किया जा सकता है। अतः प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख ग्राम निम्बोल के खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 में मीरूशाह वल्द फूलशाह कौम सांई बतौर खातेदार दर्ज है। नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 02.06.1971 के अनुसार मीरूशाह फौत, खेत पर कब्जे के आधार पर सुल्तानशाह वल्द मीरूशाह एवं अलीशाह वल्द मीरूशाह का नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार उपर्युक्त नामान्तरण पंजिका के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि खातेदार मीरूशाह के फौत होनें पर कानूनन विधिक वारिसान की जांच एवं हक हिस्सा निर्धारित किये बिना केवल खेत पर कब्जे के आधार पर फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत किया गया, मूल वादपत्र के अनुतोष पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि केवल कब्जे काश्त के आधार पर वारिसान का निर्धारण किया जाना विधि संगत नहीं हो सकता, साथ ही अप्रार्थीगण का नाम उक्त नामान्तरण प्रविष्टि के आधार पर ही आगामी जमाबन्दीयों में दर्ज हुआ है जिसके आधार पर कालांतर में बैचान एवं बक्शीश आदि हुये है। अतः उपलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

*(02) सुविधा **का** संतुलन :–* चुंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित हुआ है, साथ ही वादग्रस्त आराजी को प्रार्थीगण द्वारा अपने पूर्वज मीरूशाह वल्द फूलशाह की पुश्तैनी सम्पति होना शपथ पर प्रकट किया है जिसका अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी खण्डन नहीं किया गया हैं, साथ ही खातेदार मीरूशाह की मृत्यु उपरांत स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 02.06.1971 केवल खेत पर कब्जे काश्त के आधार पर स्वीकृत किये जाने का अंकन है। अतः विरासत से प्राप्त आराजी में सम्पतिधारक की मृत्यु के साथ ही वारिसान का हक हिस्सा उसमें निहित हो जाता है तथा ऐसी सम्पतियों के सम्बन्ध में दस्तावेजी प्रविष्टियां महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :– प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में विरासत से निहित अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में केवल अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने के कारण यह पूर्ण संभावना रहती है कि वादपत्र के निर्णय तक अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण एवं व्ययन किया जा सकता है जैसा कि दस्तावेजात् से साबित है कि पूर्व में भी अप्रार्थीगण द्वारा परस्पर बैचान एवं बक्शीश आदि किया गया हैं। अतः ऐसी दशा में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का व्ययन किया जा सकता है। जिससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है तथा इन सब से अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण की होगी। अप्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती तो उन्हे किस प्रकार से अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में भली–भांति साबित होने से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र को साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का वर्तमान भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने तथा वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान हस्तान्तरण आदि नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-::आदेश::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 965 रकबा 13-15 बीघा किरम बारानी दोयम, खसरा नम्बर 879 रकबा 11-04 बीघा, खसरा नम्बर 970 रकबा 20-19 बीघा के वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान, बक्शीश व हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/06/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:00 IST
Reason: SelfAttested